प्रकरण संख्या 27/2017 अख्तर रशीद बनाम अम्बालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1803 मी., 1804 मी., 1806 कुल किता 3 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा अनुसार अंकित है। उक्त भूमि प्रारम्भ में जयचन्द पिता अमृतराम मेनारिया के खातेदारी अधिपत्य की होकर उनके नाम दर्ज थी, जिनके द्वारा उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा हिस्सा बराबर, 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 एवं 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 4 द्वारा विक्रय मूल्य 50,000/- रूपये में दिनांक 05.04.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया। उक्त विक्रय का पंजीयन दिनांक 07.07.1994 को किया गया, परन्तु विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थीगण को अंधेरे में रखते हुए राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का नुमाईशी विक्रय विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/9 हिस्सा ही था। उक्त विक्रय प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध एबईनिशियों वोईड है। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त नुमाईशी विक्रय हो जाने एवं उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य के 2/9 हिस्से को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजि[illegible] जरिये [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:08 IST
Reason: SelfAttested

सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि का खातेदार ही नहीं है, तो वह किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दुओं पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है एवं मात्र पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आधार मानकर रेकार्डेड खातेदार को मूलवाद के निस्तारण में मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्ये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर दिनांक 07.07.1994 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार विवादित आराजियात का विक्रय खातेदार जयसिंह द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है, किन्तु प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 2 के साथ प्रार्थीगण द्वारा भी क्रय की गयी है तथा विपक्षी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/9 हिस्सा ही है, शेष 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का है, किन्तु विपक्षी संख्या 2 द्वारा समस्त 1/3 हिस्से का विक्रय अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया है, जिससे विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:08 IST
Reason: SelfAttested

कि अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 पन्नालाल द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज है, प्रार्थीगण जो विपक्षी संख्या 2 पन्नालाल के सगे भाई होकर केवलराम के पुत्र हैं, उनका विवादित आराजियात में 1/9, 1/9 हिस्सा है अथवा नहीं यह तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही साबित हो सकेगा, किन्तु यदि इस बीच खातेदार द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का विक्रय किसी अन्य को कर दिया जाता है तो इससे पक्षकारों में और विवाद बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक पक्षकारों को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:08 IST
Reason: SelfAttested